R.M.M. Law College, Saharsa (1)

Nareshji Anand

LL.B Part IInd
Paper - VI th
Environmental Law

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम - 1974

उद्देश्य

अधिनियम की उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिए उनसे सम्बन्धित शक्तियों और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

(1) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एवं जल की स्वास्थ्य प्रदता बनाये

रखने या उसे पूर्व स्थिति प्रदान करना;

(ii) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य बोर्डों के स्थापना करना;

(iii) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों हेतु बोर्डों की शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना;

(iv) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध करना और

(v) बोर्डों को प्रदूषण की मात्रा के आकलन करने, मानक निर्धारित करने और अपराध या भूल स्थापित करने हेतु साक्ष्य बनाने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम - 1974 की मुख्य विशेषताएँ :-

(i) यह अधिनियम एक सामर्थ्यकारी विधि है जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है और साथ ही साथ जल की स्वास्थ्यप्रदता या गुणवत्ता को बनाये रखना अथवा पूर्वावस्था में लाना है।

(ii) यह अधिनियम भारतीय पर्यावरणीय विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या

में परिभाषा की गई है। प्रदूषण से
जल के संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक
और जैविक गुणों में ह्रास है जो विभिन्न
कारणों से उत्पन्न हो लोक स्वास्थ्य अथवा
जलीय जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक है।
(2) इसमें झरने जल स्रोत (चाहे प्रवाहित हो
अथवा कुछ समय के लिए सूख गया
हो) अन्तर्देशीय जल, भूमिगत जल, समुद्र
या ज्वारीय जल सम्मिलित है।

(4) अधिनियम में दिये गये उद्देश्यों को
प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड, राज्य
बोर्ड और संयुक्त बोर्डों की स्थापना
की गई है। केन्द्रीय बोर्ड सन 1982 से सरकार
के पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग
से सम्बद्ध है। यह केन्द्र सरकार को पर्यावरण
प्रदूषण पर परामर्श देने से लेकर राज्य
नियंत्रण विभाग से सम्बद्ध है। इसकी तरफ
राज्य नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड
और राज्य सरकारों के अनुदेशों के अंतर्गत कार्य
करते हुए प्रदूषण के लिए मलक एवं उद्योगों
के लिए सहमति आदेश पारित करता है।

5 केन्द्रीय बोर्ड केन्द्र शासित राज्य में राज्य
बोर्डों के भाँति कार्य करता है।

6 बोर्ड झरनों, कुओं, मल, बहिःस्राव के जल
के नमूनों की जाँच हेतु प्रयोगशालाओं
को स्थापित करने अथवा मान्यता देने के
लिए अधिकृत है।

। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण हेतु व्यापक
योजना दी गई है जो अनुमति प्रणाली
और सहमति प्रक्रिया पर आधारित है।

Scanned with CamScanner

(8) राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा विषैले अथवा प्रदूषक तत्वों को नदियों, कुओं, मल नाल आदि में छोड़ना निषिद्ध है और इसलिए अपराध है।

(9) उद्योग लगाने के पूर्व राज्य बोर्ड की सहमति आवश्यक है जो उचित जाँच-पड़ताल एवं संतुष्टि पर दी जायेगी और यह सशर्त हो सकती है और उतनी ही अवधि तक वैध रहेगी जितने तक के लिए दी गई है।

(10) जान-बूझकर अथवा बेईमानी से सहमति पाने के लिए मिथ्या बयान 3 माह के कारावास अथवा 10 हजार के अर्थ दण्ड दोनों से दण्डनीय बनाया गया है।

(11) सन 1988 में किये गये संशोधन द्वारा केन्द्र और राज्य बोर्डों की शक्तियों में वृद्धि की गई है। और नागरिक मुकदमा को उपलब्ध किया गया है। इस अधिनियम की प्रवर्तनीयता ज्यादा प्रभावकारी बन गयी है।

Scanned with CamScanner